राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प0 4(1)राज–6/2002/16 जयपुर, दिनांक 28-12-17

परिपत्र

राजस्व अभिलेखों में जाति नाम संशोधन बाबत इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26.12.95, 1.11.96 व 25.10.2007 द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को यह निर्देश जारी किये गये थे कि राजस्व अभिलेख में काश्तकारों के जातिनाम गलत इन्द्राज होने की दशा में उपखण्ड अधिकारी जॉच करने के पश्चात राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 136 एवं राज0 भू–राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के नियम 369 के अन्तर्गत उक्त अभिलेख में जाति संबंधी त्रुटियों को संबंधित पक्षकारों को नोटिस देकर एवं सुनकर दुरूस्त कर सकते है।

उपरोक्त निर्देशों के उपरान्त भी राज्य सरकार को इस तरह के आवेदन प्राप्त हो रहे है कि उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नही की जा रही है।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26.12.95,1.11.96 व 25.10.2007 के अनुसरण में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें ।

आज्ञा से,

28/12/2017
(रामनिवास जाट)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
3. निबन्धक, राजस्व मण्डल,अजमेर।
4. रक्षित पत्रावली।

28-12-2017
संयुक्त शासन सचिव